8

S.R.-I

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

सत्यमेव जयते

Certificate No.	:	IN-UP02699971437990O
Certificate Issued Date	:	15-Dec-2016 04:23 PM
Account Reference	:	NONACC (BK)/ upcbibk02/ MUZAFFARNAGAR2/ UP-MJF
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUPCBIBK02032404957573570
Purchased by	:	VASUNDHARA INFRABUILT PVT LTD TH DIR AMIT KUMAR
Description of Document	:	Article 5 Agreement or Memorandum of an agreement
Property Description	:	AGRICULTURE LAND SITUATED AT VILL-SUJRU, MUZAFFARNAGAR.
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	VAKEEL AHMAD SO AASAK ALI AND OTHERS
Second Party	:	VASUNDHARA INFRABUILT PVT LTD TH DIR AMIT KUMAR
Stamp Duty Paid By	:	VASUNDHARA INFRABUILT PVT LTD TH DIR AMIT KUMAR
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	1,07,000 (One Lakh Seven Thousand only)

E - STAMP
LOCKED BY..........

Please write or type below this line

क्षेत्राधिकार कार्यालय उप निबन्धक प्रथम

VASUNDHARA INFRABUILD P... DIRECTOR

0002739372

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp Certificate should be verified at www.shcilestamp.com. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

प्रतिज्ञा पत्र विक्रय बिला कब्जा

आवंटित वी. कोडः— 1080

महायदा मूल्य	:— 53,50,000 / —रूपये
अग्रिम धन	:— 4,95,000 / —रूपये
स्टाम्प शूल्क	:— 1,07,000 / —रूपये

हम कि **वकील अहमद (AADHAR NO. 2645 5374 3548)** पुत्र श्री आसक अली व **सदाकत अली (VID NO. UP/82/408/0069181)** पुत्र स्वर्गीय श्री मारूफ अली व **कुमारी सलमा** (नाबीना) **(AADHAR NO. 6044 8416 3395)**

पुत्री स्वर्गीय श्री मारूफ अली व **श्रीमति अफरोज (AADHAR NO. 3780 5053 3430)** पत्नी स्वर्गीय श्री इन्साफ अली व **नौशाद (VID NO. ZGX0593392)** व **सैय्याद (AADHAR NO. 3469 1840 9475)** व सद्दाम **(AADHAR NO. 8467 0839 2238)** पुत्रगण स्वर्गीय श्री इन्साफ अली निवासीगण ग्राम सुजड़ू परगना व तहसील व जिला मुजफ्फरनगर प्रथम पक्ष व **वसुन्धरा इन्फ्राबिल्ड प्रा0लि0** (PAN NO-AADCV8074B) वसुन्धरा रैजीडेन्सी, परिक्रमा मार्ग जिला मुजफ्फरनगर द्वारा डायरेक्टर अमित कुमार पुत्र श्री विरेन्द्र पाल सिंह निवासी मकान नम्बर 438/28 मौहल्ला सुमन विहार शहर मुजफ्फरनगर परगना व

तहसील व जिला मुजफ्फरनगर द्वितीय पक्ष के है।

जो कि निम्नलिखित सम्पत्ति तन्हा वकील अहमद प्रथम पक्ष की पैतृक सम्पत्ति व सदाकत अली आदि उक्त को स्वर्गीय श्री मारूफ अली व श्रीमति अफरोज आदि उक्त को स्वर्गीय इन्साफ अली से उत्तराधिकार मे मिली हुई है, और जिसके बारे मे प्रथम पक्ष को पूर्ण अधिकार हर किस्म प्राप्त है। निम्नलिखित सम्पत्ति प्रथम पक्ष के कब्जे व अधिकार मे है, और जो इस समय तक हर प्रकार के भार बन्धक आदि से कतई स्वच्छ एंव मुक्त है। किसी वित्तीय संस्थान या व्यक्तिगत वित्तीय संस्थान मे बन्धक नही है, और न ही किसी जमानत मे दी हुई है, और जिसके बारे मे प्रथम पक्ष को पूर्ण अधिकार हर किस्म प्राप्त है। प्रथम पक्ष ने निम्नलिखित सम्पत्ति के बेचने का सौदा द्वितीय पक्ष से कर रहा है। अतः प्रथम पक्ष ने स्वेच्छा तथा प्रसन्नता व स्वस्थ मस्तिष्क की दशा मे होकर अपनी निम्नलिखित सम्पत्ति को मय उससे सम्बन्धित अपने समस्त अधिकारो के न रखने शेष किसी भी अधिकार के अपनी आवश्यकता वश अपने परिवार के परामर्श व

VASUNDHARA INFRABUILD PVT.LTD.

DIRECTOR

सहमति से निम्नलिखित सम्पत्ति के बेचने के सौदा **तरेपन लाख पचास हजार 53,50,000/–रूपये** मे द्वितीय पक्ष को किया है, और द्वितीय पक्ष ने प्रथम पक्ष की निम्नलिखित सम्पत्ति को मौके पर देख लिया है, और समझ लिया है, और उसके आकार प्रकार तथा उसमें प्रथम पक्ष के अधिकारो के प्रति अपनी पूरी जानकारी और तसल्ली कर ली है कि यह सही है, और द्वितीय,प्रथम पक्ष की निम्नलिखित सम्पत्ति को उक्त मूल्य में क्रय करने के लिये तैयार है, दोनो पक्ष बैनामे के निष्पादन व रजिस्ट्री के लिये दिनांक **14–06–2018 ई0** तक का समय निश्चित करते है, प्रथम पक्ष ने मुबलिग **चार लाख पिचानवे हजार 4,95,000/–रूपये** अग्रिम धन में द्वितीय पक्ष से द्वारा सात किते चैक नम्बरी 000146 कीमती 1,65,000/–रूपये व चैक नम्बरी 000147 कीमती 82,500/–रूपये व चैक नम्बरी 000167 कीमती 82,500/–रूपये व चैक नम्बरी 000149 कीमती 41,250/–रूपये व चैक नम्बरी 000150 कीमती

VASUNDHARA INFRABUILD PVT.LTD.

DIRECTOR

41,250/–रूपये व चैक नम्बरी 000151 कीमती 41,250/–रूपये व चैक नम्बरी 000152 कीमती 41,250/–रूपये सभी चैक एच0डी0एफ0सी0 बैंक मुजफ्फरनगर प्राप्त किये है। जो बैनामे के निष्पादन के समय जरे कीमत में मुजरा किये जावेगे तथा शेष जरे कीमत द्वितीय पक्ष बैनामे के समय अदा करेगा। अतः दोनो पक्ष बैनामे के निष्पादन व रजिस्ट्री के लिये निम्न धाराओ के पाबन्द रहेगे। नं01:–यह कि प्रथम पक्ष उपरोक्त निश्चित की गई अवधि के अन्तर्गत जब भी द्वितीय पक्ष बैनामा कराना चाहे अपनी निम्नलिखित सम्पत्ति का बैनामा तय की गई उक्त धनराषि में बहक द्वितीय पक्ष बिना किसी आपत्ति के कर देगा यदि प्रथम पक्ष उक्त अवधि के अन्तर्गत द्वितीय पक्ष के बैनामा कराने के बावजूद बैनामा नकरे तो द्वितीय पक्ष को अधिकार होगा कि वह शेष विक्रय मूल्य अदालत के अधिकार में जमा करके बैनामा द्वारा अदालत अपने हक में करा लेवे इसमें प्रथम पक्ष को कोई आपत्ति न होगी। नं02:–यह कि यदि उपरोक्त अवधि के भीतर

VASUNDHARA INFRABUILD PVT.LTD.

DIRECTOR

प्रथम पक्ष के बैनामा करने के बावजूद, द्वितीय पक्ष बैनामा न कराये और कराने से इन्कार करे, तो ऐसी समस्त दशाओ में द्वितीय पक्ष को दिया हुआ अग्रिम धन जब्त माना जावेगा और प्रथम पक्ष अग्रिम धन वापिस लौटाने का पाबन्द न होगा तथा निम्नलिखित सम्पत्ति उक्त शर्तो की पाबन्दी से मुक्त मानी जावेगी। नं03:– यह कि शेष विक्रय मूल्य द्वितीय पक्ष रजिस्ट्री समय प्रथम पक्ष को अदा करेगा और बैनामे के निष्पादन एव रजिस्ट्री का कुल खर्च बजिम्मे द्वितीय पक्ष रहेगा। यदि प्रथम पक्ष के बैनामा न करने की दशा में द्वितीय पक्ष को बैनामे के निष्पादन की कार्यवाही अदालत मे करनी पडी तो जो खर्च अदालत मे होगा बजिम्मे प्रथम पक्ष रहेगा। जिसे द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष से प्राप्त करने का अधिकार होगा। नं04:– यह कि द्वितीय पक्ष को अधिकार होगा बैनामा स्वयं अपने नाम या अपने साथ अपने से सम्बन्धित व्यक्ति एक या एक से अधिक को शामिल करके कराये इसमें प्रथम पक्ष को कोई आपत्ति न होगी। यदि प्रथम पक्ष को बैनामा करने के लिये

Noshad

VASUNDHARA INFRABUILD PVT.L

DIRECT

निम्नलिखित सम्पत्ति की बाबत कोई अनुमति किसी न्यायालय या विभाग या कार्यालय से प्राप्त करने की आवश्यकता हुई तो वह अनुमति प्रथम पक्ष अपने खर्चे से प्राप्त करके उसकी लिखित सूचना द्वितीय पक्ष को देकर बैनामा करने का पाबन्द होगा। नं05:— यह कि प्रथम पक्ष ने अपनी निम्नलिखित सम्पत्ति का कोई प्रतिज्ञा पत्र विक्रय नही किया हुआ है और न ही किसी भी तरीके से हस्तान्तरित है और न ही भविष्य में करेगा। नं06:— यह कि निम्नलिखित सम्पत्ति पर द्वितीय पक्ष को कब्जा बैनामे के निष्पादन के समय दिया जावेगा तब तक प्रथम पक्ष का ही कब्जा रहेगा। नं07:— यह कि बैनामे के निष्पादन के समय सम्पत्ति निम्नलिखित पर यदि कोई मतालबा सरकारी या गैर सरकारी

VASUNDHA... PVT.LTD.

DIRECTOR

किसी भी तरह का प्रथम पक्ष की ओर देय व बकाया हुआ तो प्रथम पक्ष उसे अदा अदा व बेबाक करते हुये बैनामा बहक द्वितीय पक्ष करने का पाबन्द रहेगा। नं08:– यह कि उक्त शर्तो के दोनो पक्ष व उनके वारसान पूर्ण पाबन्द है, और भविष्य मे भी पाबन्द रहेगें। अस्तु यह प्रतिज्ञा पत्र विक्रय लिख दिया कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे। इतिः–

विवरण सम्पत्ति स्थित ग्राम **सुजडू** परगना व तहसील व जिला मुजफ्फरनगरः– जो कि कृषि भूमि खतौनी वर्ष 1419 ता 1424 फसली के खाता संख्या 778 के नम्बर खसरा दो हजार एक सौ सडसठ, एक दशमलव दो, दो, चार, शून्य **2167 / 1.2240 हैक्टेयर दरोबस्त** का **1 / 3** भाग **(भागांश)** भागानुसार क्षेत्र **0.4080 हैक्टेयर।** मय जुमला हक व हकूक हर किस्म। नोटः– कुमारी सलमा प्रथम पक्ष नाबीना है, और उक्त दस्तावेज कुमारी सलमा को पढकर सुना

VASUNDHARA INFRABUILD PVT.LTD.

DIRECTOR

दिया है। जिससे कुमारी सलमा प्रथम पक्ष सहमत है, और उक्त दस्तावेज पर अपना चिन्ह अगूँठा लगाया है।

Nashad

साक्षी Sumit Kumar
S/o. Late Prahlad Singh 1248/15 Anand Vihar M.Z.N

साक्षी YKKamboj
Yogendra Kumar Kamboj

तहरीर ता0:– 07–01–2017 ई0

ड्राफ्टकर्ता:– योगेन्द्र कुमार काम्बोज एडवोकेट तहसील सदर मुजफ्फरनगर

आज दिनांक **07/01/2017** को

वही सं. **1** जिल्द सं. **9805**

पृष्ठ सं. **227** से **246** पर कमांक **109**

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

नरेश कुमार (अनिल सिंह नि0सहायक)

प्र0उपनिबन्धक प्रथम

मुजफ्फरनगर

7/1/2017

उप-निबन्धक प्रथम, मुजफ्फरनगर